**अध्याय - 7**

# खेलों में म.प्र.सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

जब कोई व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है तब उसे किसी-न-किसी तरह से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये प्रोत्साहन चाहे उपहार रूप में हों, नकद रूप में अथवा किसी सुविधा के रूप में हों, इससे खिलाड़ी प्रोत्साहित होता है। पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ खेल के प्रति अन्य लोगों का आकर्षण बढ़ाना भी है।

इसी के अन्तर्गत मध्यप्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा 2 फरवरी सन् 2000 से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएँ की हैं -

- **खेल वृत्ति**

  यह खेल वृत्ति 19 वर्ष से कम उम्र के 'स्वर्ण पदक' विजेता को प्रदान की जाती है। इस खेल वृत्ति में प्रत्येक खिलाड़ी को सम्मान राशि प्रदान की जाती है।

- **सम्मान निधि**

  सम्मान निधि मध्यप्रदेश के उस मूलनिवासी खिलाड़ी को प्रदान की जाती है, जिसने अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया हो तथा कोई पदक जीता हो। इस निधि में खिलाड़ी को स्वीकृत सम्मान राशि जीवनपर्यन्त दी जाती है।

- **विक्रम पुरस्कार**

  यह पुरस्कार राज्य के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने पिछले पाँच वर्षों में कम से कम दो वर्षों तक वरिष्ठ वर्ग की राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। पुरस्कृत खिलाड़ी को 20 हजार रुपये नकद, ब्लेजर, प्रमाण-पत्र तथा प्रतीक चिह्न प्रदान किया जाता है।

- **एकलव्य पुरस्कार**

  वर्ष 1994 से प्रारंभ एकलव्य पुरस्कार राज्य के मूल निवासी उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने विगत पाँच वर्षों में कम-से-कम 2 वर्षों में राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। पुरस्कारस्वरूप सम्मान राशि तथा अन्य सुविधाएँ दिए जाने का प्रावधान है।

- **विश्वामित्र पुरस्कार**

  यह पुरस्कार राज्य के ऐसे खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है जिसने पिछले पाँच वर्षों में कम-से-कम दो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो तथा उन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक या 4 रजत पदक अथवा 6 कांस्य पदक जीते हों। पुरस्कृत प्रशिक्षक को 20 हजार रुपये नकद और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

- **अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार**

राज्य के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ी, जिसने सीनियर वर्ग की किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो, उस स्वर्ण पदक विजेता को दो लाख रुपये, रजत पदक विजेता को डेढ़ लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को एक लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। जूनियर वर्ग के ऐसे स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को एक लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 75 हजार रुपये एवं कांस्य पदक विजेता को 50 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं।

- **खेल पंचायत**

मध्यप्रदेश में पहली बार आयोजित खेल पंचायत में खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार, आजीवन सम्मान निधि, प्रशिक्षण केन्द्र, खेल किट, दुघर्टना बीमा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

- **सुविधाएँ एवं प्रशिक्षण**

खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना का उद्देश्य ही खिलाड़ियों को समय-समय पर एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना तथा उन्हें समुचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं -

1. **प्रशिक्षण**

राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के सहयोग से भोपाल में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, सागर, ग्वालियर, इन्दौर, उज्जैन में उप-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें बॉस्केटबॉल, टेबिल टेनिस, बेडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, भारोत्तोलन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. **ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ**

विकास खण्ड, जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर खो-खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, कुश्ती, हेण्डबॉल, व्हालीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, धनुर्विद्या, तैराकी, जिमनास्टिक आदि की ग्रामीण क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर महिला खेलकूद उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें बिना किसी बंधन के सभी महिलाएँ भाग ले सकती हैं।

3. **अखाड़ों का संचालन**

ग्रामीण क्षेत्रों में कुश्ती के लिए अखाड़ों का संचालन किया जाता है। प्रत्येक अखाड़ा संचालक को उचित मानदेय दिया जाता है।

4. **नवोदित खिलाड़ियों की प्रशिक्षण व्यवस्था**

नवोदित खिलाड़ी के प्रशिक्षक हेतु वर्ष 1982-1983 में योजना प्रारंभ की गई। इसकी अवधि 20 दिन होती है, जिन खिलाड़ियों की उम्र 19 वर्ष होती है एवं जिन्होंने अंतर-संभागीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो, उन्हें सम्मिलित किया जाता है।

## 5. आवासीय खेल परिसर एवं हॉकी होस्टल

आदिवासी अंचलों में स्थित 21 आवासीय खेल परिसरों द्वारा पिछड़ी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाता रहा है। नरसिंहगढ़ में प्रारंभ हॉकी हॉस्टल का मुख्य उद्देश्य 13 से 18 वर्ष तक के प्रतिभावान खिलाड़ियों को तकनीकी ढंग से नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है।

### मध्यप्रदेश नई खेल नीति

- खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण।
- शिक्षा एवं खेलों में सामंजस्य।
- खिलाड़ियों को प्रोत्साहन पुरस्कार।
- साहसिक खेलों का विकास।
- खेलों के लिए सुविधाएँ, उपकरण और पुस्तकालय।
- प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक खेल स्टेडियम।
- ओलम्पिक स्वर्णपदक विजेता को नकद पुरस्कार।
- खेल एवं शारीरिक शिक्षा विषय को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में लागू किया जाना।
- ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने के कारण वार्षिक परीक्षा में बैठने से चूक गए हैं, उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित करना इत्यादि।

## अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. खिलाड़ियों को पुरस्कार देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 2. विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया जाता है?

प्रश्न 3. किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है?

प्रश्न 4. विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिए जाने का प्रावधान है?

प्रश्न 5. अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता को पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है?

प्रश्न 6. ऐसा कौन-सा पुरस्कार है जो खिलाड़ी को नहीं बल्कि खेल-प्रशिक्षक को दिया जाता है?

प्रश्न 7. मध्यप्रदेश की खेल पंचायत में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु बताइए।

प्रश्न 8. 'क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र' भोपाल के कार्य बताइए।

प्रश्न 9. आवासीय खेल परिसर स्थापित करने का उद्देश्य बताइए।

प्रश्न 10. नई खेल नीति के कोई पाँच मुख्य बिन्दु लिखिए।